

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 637]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2014—पौष 9, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014

क्र. 7512-347-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 दिसम्बर 2014 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०१४

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४

[दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है।

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारंभ।

२. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १४-ग के पश्चात्, अध्याय-३ में, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“१४-घ. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, आदेश द्वारा, किसी नियोजक या स्थापना द्वारा रजिस्टरों को संधारित करने और प्रतिवेदन तथा विवरणियां प्रस्तुत करने के लिये समेकित प्ररूप प्रकल्पित (डिवाइस) कर सकेगी या अधिसूचित कर सकेगी :

धारा १४-घ का अन्तः
स्थापन।

रजिस्टर तथा
अभिलेख संधारित
करने के लिये समेकित
प्रस्तुत तथा नियोजकों
द्वारा प्रतिवेदनों तथा
विवरणियों का प्रस्तुत
किया जाना।

परन्तु सरकार रजिस्टर और अभिलेख को कम्प्यूटरीकृत या डिजीटल फार्मेट में संधारित करने के लिये अनुशासन कर सकेगी।”।

धारा २८ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

छूट.

“२८ (१) इस अधिनियम में की कोई भी बात, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) के अधीन सूक्ष्म उद्योग के रूप में वर्गीकृत किसी स्थापना या औद्योगिक सत्ता को लागू नहीं होगी।

(२) उपधारा (१) के उपबंधों के होते हुए भी, राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि कर्मकारों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी सूक्ष्म उद्योग या सूक्ष्म उद्योगों के वर्ग को प्रदान की गई कोई छूट, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस ले सकेगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ८ सन् २०१४) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. 7513-347-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 2014

THE MADHYA PRADESH SHRAM KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

[Received the assent of the Governor on the 29th December 2014; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 30th December, 2014].

An act further to amend the Madhya Pradesh Shram Kalyam Nidhi Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Shram Kalyam Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. After section 14-C of the Madhya Pradesh Shram Kalyam Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following section shall be inserted, in Chapter III, namely:—

Consolidated forms to maintain registers and records and furnishing of report and returns by employers.

“14-D. Notwithstanding anything contained in any other provision of the Act, Government may, by order, devise or notify consolidated forms for maintaining registers and furnishing reports and returns by an employer or establishment :

Provided that the Government may allow the registers and records to be maintained in computerised or digital formats.”.

3. For section 28 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of section 28.

“28. (1) Nothing in this Act shall apply to an establishment or industrial entity classified as ‘Micro Industry’ under the Micro, small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (No. 27 of 2006).

Exemption

(2) Notwithstanding the provisions of sub-section (1), the State Government may withdraw, partially or fully, any exemption granted to any Micro Industry or category of Micro Industries, if it is satisfied that it is so required in the interest of workers.”.

4. The Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhyadesha, 2014 (No. 8 of 2014) is hereby repealed. Repeal and saving.

(2) (1) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, any thing done on any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.